प्ररूप–एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर, सरगुजा एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक १५१०/भू–अर्जन/2018 अम्बिकापुर,दिनांक 31/07/2018

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात:–

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हे0 में)	लोक प्रयोजन का विवरण
सरगुजा	लखनपुर	लोसंगा (बांई तट नहर, दांई तट नहर एवं डुबान क्षेत्र)	8.540	क्षेत्र की सिंचाई क्षमता में वृद्धि

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 17/08/2018 को (समय) **पूर्वान्ह 11.00 बजे** (स्थान) ग्राम पंचायत भवन लोसंगा पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:–

कंडिका	विवरण
एक– लोक प्रयोजन, का संक्षिप्त विवरण।	सिंचाई क्षमता में वृद्धि
दो– प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	59
तीन– अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	निरंक
चार– प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या।	निरंक
पांच– प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
छः– क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हां
सात– क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हां
आठ– परियोजना की कुल लागत।	608.37 लाख रूपये (अनुमानित)
नौ– परियोजना से होने वाला लाभ।	सिंचाई क्षमता का विस्तार, एवं किसानों की आय में वृद्धि।
दस– प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा इस पर होने वाला संभावित व्यय।	परियोजना का लोगों के सामाजिक जीवन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
ग्यारह–परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक।	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

(श्रीमती किरण कौशल)
कलेक्टर
सरगुजा,अम्बिकापुर

2445

पृ0 क्रमांक 4902 / भू–अर्जन / 2018, अम्बिकापुर,दिनांक 31/07/2018

प्रतिलिपि--

1– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

2– आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर।

3– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर ।

4– अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व,उदयपुर, सह अध्यक्ष, सामाजिक समाघात निर्धारण दल, को अधिसूचना की दस प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संलग्न अधिसूचना संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराये। साथ ही इसका प्रकाशन प्रभावित क्षेत्रों में करायें तथा उद्घोषणा भी करायें। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित करायें तथा ग्राम लोसंगा अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण ग्राम सभा की सहमति भी प्राप्त की जाए।

5– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति जिले के वेबसाईट में अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।

6–सर्व सदस्य, सामाजिक समाघात निर्धारण दल,लोसंगा जलाशय योजना ग्राम, लोसंगा, तहसील–लखनपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, लखनपुर, जिला सरगुजा।

8–कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र0 01, अम्बिकापुर जिला सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर

सरगुजा,अम्बिकापुर